


बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 26.03.15

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 348 / श्री कुमार प्रमोद नारायण सिंह, श्रम अधीक्षक, (कृषि श्रमिक), गया के अस्वस्थतावश अवकाश में रहने के कारण उनके योगदान करने तक अथवा अगले आदेश तक श्री राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक (सामान्य), गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, (कृषि श्रमिक), गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


26.03.15
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2014 श्र०सं० 348 / पटना, दिनांक-26.03.15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/सम्बन्धित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26.03.15
सरकार के उप सचिव।